मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग
चतुर्थ एवं पंचम तल, मेट्रो प्लाजा, विट्ठन मार्केट, भोपाल – 462 016

भोपाल, दिनांक : 12 जून, .2007

क्रमांकः 989/म.प्र.विनिआ/2007. विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36, वर्ष 2003) की धारा 43(1) सहपठित धारा 181 (2)(टी), धारा 46 सहपठित धारा 181(1), धारा 50 सहपठित धारा 181(2)(एक्स) तथा मध्यप्रदेश विद्युत सुधार अधिनियम, 2000 (क्रमांक 4, वर्ष 2001) की धारा 9(जे) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग एतद् द्वारा क्रमांक 861–विनिआ–04 दिनांक 27 मार्च, 2004 द्वारा अधिसूचित मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता, 2004 में निम्न संशोधन करता है ।

मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता, 2004 में तेरहवां संशोधन

1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ :

(i) यह संहिता **''मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता, 2004 (तेरहवां संशोधन) (क्रमांक एजी–1 (xiii), वर्ष 2007)'' कही जावेगी ।**

(ii) यह संहिता मध्यप्रदेश शासन के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावशील होगी ।

(iii) इस संहिता का विस्तार सम्पूर्ण मध्यप्रदेश राज्य होगा ।

2. अध्याय 7 में संशोधन :

''मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता, 2004'' में शीर्षक ''अनुबंध'' के अन्तर्गत कण्डिका 7.16 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जावेगा, अर्थात् :

''7.16 अनुबंध के मानक प्रपत्र, इस संहिता के साथ संलग्न निम्न दाब उपभोक्ताओं हेतु परिशिष्ट–5 तथा उच्च दाब उपभोक्ताओं हेतु परिशिष्ट–6 के अनुसार होंगे । निम्न दाब घरेलु व निम्न दाब सिंगल फेस गैर घरेलु उपभोक्ताओं को छोडकर बाकी सभी उच्च दाब तथा निम्न दाब उपभोक्ताओं हेतु अनुबंध की प्रारंभिक अवधि दो वर्ष होगी ।''

आयोग के आदेशानुसार

अशोक शर्मा, आयोग सचिव